


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख  
हुकम

तक ललवी नहीं कराई है। जिसके कारण  
प्रकरण को आगे चलाने का कोई डोंचिल  
नहीं है। अतः सायल का प्राप्ति 7-2  
ललवी के अभाव में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फेल्लु शुभा ललवी  
बाद ललवी के फलर शिखिल किया  
जाते।

  
उप जिला कलक्टर  
वामनवास (जिला-सोमा)

